निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर, कोटपूतली बहरोड़ (राज॰)

प्रकरण संख्या 04/2024 (आरबीट्रेटर प्रार्थना) तारीख रजू : 22.04.2024

1. हरदानसिंह
2. मानसिंह पुत्रान रामजीलाल
3. ग्यारसा पुत्र ज्वारा
4. मनोहर पुत्र ज्वारा

जातियान गुर्जर निवासीयान गांव खेड़की मुक्कड़ तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सोहना (हरियाणा) (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) प्लाट नं. 106 पी ब्लॉक, सैक्टर 48, गुड़गांवा, पिन 122018 (हरियाणा)।

... अप्रार्थीगण

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री मनीष मुक्कड अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार मित्तल अधिवक्ता अप्रार्थीगण ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16.06.2025

1. संक्षेप में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 बी के कि.मी. 0 से कि. मी. 4.9 के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कोटपूतली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 696 स्थित ग्राम खेड़की मुक्कड़ तहसील कोटपूतली के अधिग्रहण जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 05.09.2018 को मुआवजा निर्धारण के संबंध में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 का मुआवजा राशि बाबत पारित किये गये अवार्ड दिनांक 04.08.2019 से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री विजय कुमार मित्तल ने उपस्थित होकर वकलातनामा व जबाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 05–09–2018 को नेशनल हाईवे 148 बी के कि.मी 0 से कि.मी. 4.9 तक के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये विभिन्न भूमि अपेक्षित की जिनमें खसरा नम्बर 696 स्थित ग्राम खेड़की मुक्कड़ तहसील कोटपूतली को भी दर्शाया गया था। जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 05–09–2018 को हुआ, जिसकी अधिसूचना सं. 3495 थी। अप्रार्थी द्वारा धारा 3 (डी), नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 2260 दिनांकित 11 जुलाई 04.08.2019 को किया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, मनमर्जी कर, प्रार्थीगण की भूमि की वस्तुस्थिती का विवेचन किये बिना प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 1.9738 स्थित ग्राम खेड़की मुक्कड़ तहसील कोटपूतली का मुआवजा निर्धारित कर दिया, जो कि कतई गलत है। जो भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य से अत्यधिक कम निर्धारित किया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थी भू–अवाप्ति अधिकारी ने प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु प्रार्थीगण को नोटिस दिया गया। किन्तु उक्त नोटिस प्रार्थीगण को कभी नहीं मिला, ना ही कोई जानकारी हुई, ना ही नोटिस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। समस्त कार्यवाही प्रार्थीगण की पीठ पीछे की गई है तथा अप्रार्थी ने ना तो कोई विवेचन किया, ना ही कोई आदेश पारित किया बल्कि नॉन स्पीकिंग आर्डर पारित किया है। प्रार्थीगण की भूमि नेशनल हाईवे पर स्थित है। जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को एन.एच. 8 से 500 मीटर तक स्थित होना मानकर कम मुआवजा दिया गया है। प्रार्थीगण की हस्तगत भूमि खसरा नम्बर 696, 697 नेशनल हाईवे के लगती हुई है। खसरा नम्बर 696 में से 496.2689 प्रति वर्गमीटर के हिसाब से कृषि भूमि का मुआवजा 10,16,776/– रूपये दिया गया है। जबकि 1838.251 प्रति वर्गमीटर की दर से 14,37,512/– बनता

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

है जो कि RFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 14,37,512 X 1.25 X 2 = 3593780 रूपये बनते है जिसपर दिनांक 18.10.2019 से 20.03.2024 तक 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज 14,37,512 X 1647/365 X 12%) = 7,78,384/– रूपये कुल 4372164/– रूपये बनते है। जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को 1016776/– रूपये मुआवजे का भुगतान किया है। जो कि अप्रार्थी द्वारा 3355388/– रूपये कम मुआवजा राशि दी गई है। खसरा नंम्बर 697 रकबा 200 वर्गमीटर में से 496.2689 प्रति वर्गमीटर के हिसाब से कृषि भूमि का मुआवजा 260044/– रूपये दिया गया है। जबकि 1838.251 प्रति वर्गमीटर की दर से 367650/– बनता है जो कि RFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 367650 X 1.25 X 2 = 919125 रूपये बनते है जिसपर दिनांक 18.10.2019 से 20.03.2024 तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 367650 X 1647/365 X 12%) = 199074/– रूपये कुल 1118199/– रूपये बनते है। जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को 260044/– रूपये मुआवजे का भुगतान किया है। जो कि अप्रार्थी द्वारा 858155/– रूपये कम मुआवजा राशि दी गई है जो कि प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.02.2016 द्वारा RFCTLARR Act 2013 की प्रथम अनुसूची में सीरीयल नं. 2 कॉलम संख्या 3 में Rural Area के लिये Multiplication Factor गुणक 2 निर्धारित किया गया है। जबकि अप्रार्थी LAO द्वारा 1.25 गुणक द्वारा मुआवजा दिया गया है। जो कि गलत है। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि केन्द्र सरकार की उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में Market Value के निर्धारण हेतु गुणक 2 द्वारा मुआवजा निर्धारित किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण विधिक सिद्धान्त ओ.डी. ऑल्ट्रम पाट्रम को बिना ध्यान में रखे निर्णय पारित कर दिया जैसा कि 1984 आर. आर.डी पेज 111 में उक्त सिद्वान्त की न्यायालय ने व्याख्या की है। उक्त खसरा में प्रस्तावित परियोजना अनुसार प्रार्थी को देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को 2 गुणक से गुणा किया जाना एवं निर्धारित मार्केट वेल्यू के गुणक 2 का मुआवजा निर्धारित किया जावे एवं आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक तक 12 प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा निर्धारित करना न्याय संगत होगा। अन्त में वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 696 रकबा 1.9738 हैक्टेयर ग्राम खेड़की मुक्कड़ तहसील का प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार हिस्से का मुआवजा निर्धारित कर भुगतान करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

5 वकील अप्रार्थी सख्या 2 परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई, रेवाडी ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148बी के किमी 0 से किमी. 4.9 (तहसील ऑफिस, आजाद चौक कोटपूतली) तक के भू–खण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उप–खण्ड अधिकारी कोटपूतली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना कमाक 4308 (अ) दिनांक 04.09.2018 जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों हिन्दुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर में दिनाक 11.10.2018 को एवं अधिसूचना कमांक 3414 (अ) दिनाक 19.09.2019 जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों पंजाब केसरी व दा टाइम्स ऑ इण्डिया में दिनाक 18.10.2019 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3A के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा उसी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–D के अन्तर्गत नोटिफिकेशन का.आ. 2486 दिनांक 11.07.2019 व 2567 दिनांक 31.07.2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अधिनियम की धारा 3जी में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी की उपधारा 1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3–D की अधिसूचना की लोक सूचना (Public Notice) प्रकाशित की गयी उक्त लोक सूचना द्वारा सम्बन्धित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व (4) के अन्तर्गत स्वंय या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू–स्वामियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गये जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशन दिनांक 13.09.2019 में सुनवाई की तारीख 16.09.2019 नियत की जाकर विधिवत सुनवाई की गई तथा सुनवाई उपरान्त अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड निर्णय क्रमांक भू.अवा./2019/76 दिनांक 11.10.2019 एवं सुनवाई की तारीख 05.10.2020 नियत की जाकर विधिवत सुनवाई की गयी तथा सुनवाई उपरान्त अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 20.11.2020 पारीत किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के तहत, अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3–क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय–पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी एलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–26 की उपधारा–2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना सं० प. 1(3) राज 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (3) राज. 6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम् शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को किस गुणक से गुणा किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एव भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium) एवं धारा 3ए की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक या कब्जा दोनों में जो पूर्व हो, तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि का नियमानुसार निर्धारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय–विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय–पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन वृक्षों आदि के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये, सुसंगत क्षेत्र में सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं, जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन वृक्षों इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटपूतली (PWD) से कराकर आख्या (Report) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. कोटपूतली के द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को उपलब्ध करवायी गयी एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित निजी भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (Solatium) आंगणित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवनों, वृक्षों आदि परिसम्पत्ति की मुआवजा धनराशि निर्धारित की गयी। इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

निर्देश अनुसार आवासीय व पेट्रोल पम्प हेतु भू रूपान्तरण सडक के सध्य से 40 मीटर छोड़कर व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू रूपान्तरण सडक के मध्य से 75 मीटर छोड़कर ही किया जा सकता है, साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा उक्त संबंध में समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते है जो कि भू–सम्परिवर्तन आदेशों पर स्पष्टतया लागू होते हैं। यदि भू–सम्परिर्तन आदेश उक्त दिशा निर्देशों व राज्य सरकार के आदेशों की अवज्ञा करते हुए जारी किये जाते हैं, तो उक्त सम्परिवर्तन आदेश स्वमेव ही निरस्त व शून्य हो जाते है। यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णत सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्त शुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खातेदार/ हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकॉर्ड एवं मौका की जाँच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्ताधीन भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Kamlabai Jageshwar Joshi and Ors Vs Sate of Mharastra and Ors** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "अगर कृषि भूमि भले ही नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हो और विकास कार्य हेतु अनुज्ञप्ति भी प्राप्त कर ली गयी हो तो भी कृषि भूमि ही मानी जायेगी जब तक उस पर विकास कार्य नहीं कर दिया जाता"। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके।

अन्त में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तषुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एव तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है ।

6. उभय पक्ष की गई बहस को गौर से सुनकर मनन किया गया। पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया गया।
7. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 696 रकबा 1.9738 वाके ग्राम खेड़की मुक्कड़ तहसील कोटपूतली की मुआवजा राशि का निर्धारण वास्तविक बाजार मुल्य से अत्यधिक कम किया गया है इसलिए उक्त आराजी का उचित मुआवजा निर्धारित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी का ना तो संपरिवर्तन आदेश पत्रावली में उपलब्ध है और ना ही वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे कि यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी द्वारा उल्लेखित आराजी का मुआवजा पूर्व में गलत निर्धारित किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी भी प्रकार से अधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः हम सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में कोई त्रुटि नहीं पातें है। फलस्वरूप प्रार्थी का आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
8. निर्णय की प्रति हस्ब अतिरिक्त जिला कलक्टर/भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटपूतली को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
9. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़